	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	भाद्र 29, शुक्रवार, *शाके 1946*-सितम्बर 20, *2024* *Bhadra 29, Friday, Saka 1946- September 20, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, सितम्बर 02, 2024

संख्या प. 2(37) वन/2024 पार्ट :- चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उसके किसी अंष की स्वत्वधारी (Entitled) हैं।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 उप धारा (1) के अन्र्तगत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व नही किये गये है;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती हैं कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्व किया जाना आवशयक हैं; परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका है;

इसलिये अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी, असिस्टेन्ट वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्व करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावहित है;

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त षक्तियों के अग्रेसर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विषेष के वर्तमान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रतर अनुसरण मे यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाषन की तारीख से आरक्षित (Reserved)हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संगृहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि

अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती हैं।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वन)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव (वन) ।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
1	2	3	4	5	6	
1	अशोक विहार मैन	जयपुर	जयपुर	उत्तर-ग्राम हथरोई के खसरा नं. 419 पूर्व- ग्राम हथरोई के खसरा नं. 413 दक्षिण- ग्राम हथरोई के खसरा नं. 423 पश्चिम - ग्राम हथरोई के खसरा नं. 419	ग्राम हथरोई	
					हाल ख.नं .	क्षे0 (है0)
					420	0.0126
					421	0.0253
					422	3.68
				वन खण्ड का योग	योग	3.7179 है0
2	अशोक विहार ए	जयपुर	जयपुर	उत्तर-ग्राम हथरोई के खसरा नं. 423 पूर्व- ग्राम हथरोई के खसरा नं. 426 दक्षिण- ग्राम हथरोई के खसरा नं. 427 पश्चिम - ग्राम हथरोई के खसरा नं. 427	ग्राम हथरोई	
					ख. नं.	क्षे0 (है0)
					426 जूज	3.49
				वन खण्ड का योग		3.49

(निलोफर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
जयपुर शहर

(वी. केतन कुमार)
उप वन संरक्षक
जयपुर

द्वितीय सूची

क्रं.सं	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Ficus religiosa	पीपल
2	Ficus glomerata	गूलर
3	Prsopis spicigera	खेजडी
4	Hoioptella integrlfoolla, planch	चुरैल, कन्जू कॉज
5	Ailanthus excesa	अरडू
6	Acacia nalotca	बबूल
7	Azdiracta indica	नीम
8	Albizza lebbek	सिरस
9	Saraca asoca	अशोक
10	Dalbergia syssoo, Roxb.	शीशम
11	Eucalyptus globulus	सफेदा
12	Morus alba	शहतुत

(निलोफर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
जयपुर शहर

(वी. केतन कुमार)
उप वन संरक्षक
जयपुर

परिशिष्ट 'क'

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक, द्वारा प्रमाण पत्र
(जो लागू नही होगा है उसे काट दे)

वन खण्ड :- अशोक विहार मैन, अशोक विहार ए
नाम रेंज :- जयपुर शहर
वन मण्डल:- जयपुर

1 संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण क्रमश- गैर मुमकिन पहाड़/गैर मुमकिन भाखर/ मगरा/गैर कृषि पायती/चारागाह है! चरागाह वन भूमि जिसे विज्ञप्ति के कालम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।

2 वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में क्रमश प्लांटेशन एवं अन्य विकास कार्य में चारदीवारी बनाई गई है। इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है। उक्त भूमि के कुछ भाग पर अस्थाई पौधशाला वर्ष 1978 से संचालित है जो वर्तमान में स्थाई पौधशाला है। उक्त वन खण्ड पर डीयर पार्क एवं अशोक विहार उद्यान स्थित है।

3 भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में है तथा कुछ क्षेत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों में अशोक, सफेदा, खेजड़ी, शहतुत, नीम, बबूल, वृक्ष है ।

4 समीपवर्ती स्थित क्षेत्र बंजर/राजस्व भूमि (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन) खातेदारी भूमि है तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कालम संख्या 5 में कर दिया गया है।

5 वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शें में लाल स्याही इंगित किया गया हैं।

6. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्ति के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्व हो सके।

7. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

(निलोफर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
जयपुर शहर

(वी. केतन कुमार)
उप वन संरक्षक
जयपुर

Government Central Press, Jaipur.